International Multidisciplinary Journal Metainnovate – IMJM is an official

publication of YBN University, Rajaulatu Village, Namkum, Ranchi, Jharkhand

843010, India. It is published quarterly - March, June, September, and December.

www.metainnovateybnujournal.com

**Volume 1, Issue 1, Jan -Mar 2025**

# भारत में जेंडर न्याय और नारीवादी कानूनी सुधारः चुनौतियाँ एवं अवसर

गुरपिंदर कुमार
सहायक प्रोफेसर

सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

सरांश

यह शोध आलेख भारत में जेंडर न्याय प्राप्त करने हेतु नारीवादी कानूनी सुधारों की अनिवार्य आवश्यकता की पड़ताल करता है। पिछले कुछ वर्षों में कानूनी परिदृश्य में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, विभिन्न क्षेत्रों में जेंडर असमानताएँ अब भी व्यापत हैं, जिसके लिए नारीवादी दृष्टिकोण से मौजूदा कानूनों और नीतियों के आलोचनात्मक परीक्षण की आवश्यकता है। सारांश में भारतीय संदर्भ में जेंडर न्याय हेतु नारीवादी कानूनी सुधारों पर चर्चा को आकार देने वाले प्रमुख विषयों, पद्धतियों और निष्कर्षों की रूपरेखा दी गई है। शोध आलेख भारत में जेंडर असमानताओं को बढ़ावा देने वाले ऐतिहासिक और सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों को संदर्भित करके शुरू होता है। यह महिला, ट्रांसजेंडर और अन्य हाशियागत जेंडर पहचानों के समक्ष बहुमुखी चुनौतियों का समाधान करने में मौजूदा कानूनी ढाँचों की सीमाओं पर प्रकाश डालता है। विवाह, उत्तराधिकार, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर भेदभाव और प्रजनन अधिकारों से संबंधित मौजूदा कानूनों का आलोचनात्मक विश्लेषण उन कमियों और पूर्वाग्रहों को उजागर करता है जो जेंडर आधारित भेदभाव को कायम रखते हैं। यह शोध आलेख इन कानूनी ढाँचों की व्यापक समीक्षा के लिए तर्क देता है, ऐसे संशोधनों की वकालत करता है जो समकालीन नारीवादी दृष्टिकोणों को दर्शाते हैं और मौलिक समानता को बढ़ावा देते हैं।

मूलशब्दः नारीवाद, कानूनी सुधार, जेंडर न्याय, महिला।

---

## परिचय

भारत, एक विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र है, जिसने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत में कानूनी व्यवस्था, महिलाओं के अधिकारों के कई पहलुओं को संबोधित करते हुए, गहरी जड़े जमाए हुए पितृसत्तात्मक मानदंडों से जूझ रहा है। नारीवादी कानूनी सुधारों का उद्देश्य मौजूदा संरचनाओं को चुनौती देना और बदलना है जो जेंडर आधारित भेदभाव, हिंसा और असमानता को कायम रखते हैं। यह परिचय ऐसे सुधारों की अनिवार्यता की पड़ताल करता है, जो भारत में सभी लिंगों के लिए अधिक न्यायपूर्ण

और समावेशी समाज को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका पर बल देता है। भेदभावपूर्ण कानूनों को संबोधित करने से लेकर जेंडर-संवेदनशील नीतियों को बढ़ावा देने तक, कानूनी सुधारों के माध्यम से जेंडर न्याय की खोज

महिलाओं के अधिकारों की उन्नति और समाज की समग्र भलाई के लिए आवश्यक है। 1 भारत में जेंडर न्याय के लिए नारीवादी कानूनी सुधारों का इतिहास सामाजिक आंदोलनों, कानूनी लड़ाइयों और जेंडर भूमिकाओं के प्रति बदलते दृष्टिकोण के सूत्रों से बुना एक जटिल ताना-बाना है। स्वतंत्रता के बाद, 1950 में अपनाए गए भारतीय संविधान ने कानून के समक्ष समानता की गारंटी देकर और लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करके जेंडर न्याय के लिए एक आधार प्रदान किया। हालाँकि, ज़मीनी हकीकत अक्सर इन संवैधानिक आदर्शों से कम रही। 1970 और 1980 के दशक तक वैश्विक महिला आंदोलन और स्थानीय कार्यकर्ताओं से प्रभावित होकर एक अधिक स्पष्ट नारीवादी विमर्श सामने नहीं आया था। 2 1972 में मथुरा बलात्कार मामले जैसे ऐतिहासिक मामलों के साथ कानूनी परिदृश्य विकसित होना शुरू हुआ, जिसने बलात्कार कानूनों की पुनः जांच शुरू कर दी, जिससे पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। 1990 के दशक में महत्वपूर्ण विधायी परिवर्तन हुए, जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और दहेज संबंधी हिंसा से निपटने के लिए कानून बनाए गए। 21वीं सदी में नारीवादी कानूनी सुधारों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया, जो तेजी से जागरूक और मुखर नागरिक समाज की मांगों से प्रेरित था। वैवाहिक बलात्कार, भेदभावपूर्ण व्यक्तिगत कानून, राजनीतिक और न्यायिक क्षेत्रों में महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे नारीवादी कानूनी एजेंडे में सबसे आगे रहे हैं। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन महिलाओं के मुद्दों के समाधान की दिशा में एक औपचारिक संस्थागत कदम था। 3

चुनौतियाँ

हालाँकि भारत में जेंडर न्याय के लिए नारीवादी कानूनी सुधारों को लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, फिर भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो जेंडर समानता की पूर्ण प्राप्ति में बाधा डाल रही हैं। कुछ मुख्य चुनौतियों में शामिल हैं:

- पितृसत्तात्मक मानसिकता और सामाजिक मानदंड: भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और पारंपरिक जेंडर मानदंड व्याप्त हैं। ये मानसिकताएँ अक्सर कानूनी सुधारों के विरुद्ध प्रतिरोध में योगदान देती हैं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को कायम रखती हैं, जिससे व्यापक सामाजिक परिवर्तन लाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- मौजूदा कानूनों का अपर्याप्त कार्यान्वयन: प्रगतिशील कानूनों के अस्तित्व के बावजूद, कार्यान्वयन और प्रवर्तन तंत्र अक्सर कमज़ोर होते हैं। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण, जागरूकता की कमी और भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का अप्रभावी अनुप्रयोग हो सकता है। 4
- धीमी न्यायिक प्रक्रियाएँ: भारतीय कानूनी व्यवस्था अपनी धीमी गति के लिए कुख्यात है। लंबी कानूनी कार्यवाही भी पीड़ितों को घटनाओं की रिपोर्ट करने या कानूनी उपाय करने से रोक सकती है।
- व्यापक कानून का अभाव: हालांकि विधायी प्रगति हुई है, लेकिन कानूनी ढांचे में अभी भी कमियां हैं। वैवाहिक बलात्कार, समान नागरिक संहिता और समान प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ व्यवस्थागत जेंडर असमानताओं को दूर करने के लिए व्यापक विधि निर्माण की आवश्यकता है।
- भेदभावपूर्ण व्यक्तिगत कानून: भारत में धर्म आधारित विविध व्यक्तिगत कानून हैं, जो विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों को नियंत्रित करते हैं। इनमें से कुछ कानूनों को महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण माना जाता है, और जेंडर समानता को कायम रखने वाली समान नागरिक संहिता के प्रयास को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। 5
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: हिंसा के कुछ रूपों की सांस्कृतिक स्वीकृति, कलंक और प्रतिशोध के डर के साथ, अक्सर रिपोर्टिंग और अभियोजन में बाधा डालती है।
- सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व: सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने वाले और जेंडर न्याय को बढ़ावा देने वाले कानून के पारित होने में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- कार्यस्थल में चुनौतियाँ: जेंडर वेतन अंतर, कार्यस्थल उत्पीड़न और मातृत्व लाभ की कमी जैसे मुद्दे

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण बाधाएँ बन सकते हैं। ऐसे कानूनी सुधारों की आवश्यकता है जो अधिक समावेशी और न्यायसंगत कार्य वातावरण बनाते हैं। 6
[?] प्रतिक्रिया और प्रतिरोधः प्रगतिशील कानूनी सुधारों को रूढ़िवादी समूहों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे प्रतिक्रिया हो सकती है। प्रतिरोध कानूनी चुनौतियों, विरोध या जेंडर-संवेदनशील कानूनों के प्रभाव को कम करने के प्रयासों में प्रकट हो सकता है।

भारत में जेंडर न्याय के लिए नारीवादी कानूनी सुधारों को लागू करने के अवसर
भारत में जेंडर न्याय के लिए नारीवादी कानूनी सुधारों को लागू करने से कई अवसर मिलते हैं जो अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज में योगदान दे सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अवसर दिए गए हैं:

[?] महिला सशक्तिकरणः नारीवादी कानूनी सुधार महिलाओं को उनके अधिकारों का दावा करने के लिए कानूनी साधन प्रदान करके उन्हें सशक्त बना सकते हैं। यह सशक्तिकरण शिक्षा, रोजगार, संपत्ति के स्वामित्व और परिवार के भीतर निर्णय लेने जैसे क्षेत्रों तक फैला हुआ है।
[?] आर्थिक विकासः कानूनी सुधारों के माध्यम से जेंडर न्याय सुनिश्चित करने से आर्थिक विकास पर सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ सकता है। श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी की बाधाओं को तोड़कर, समान वेतन को बढ़ावा देकर और कार्यस्थल भेदभाव को संबोधित करके, अर्थव्यवस्था अपनी मानव पूंजी के पूर्ण उपयोग से लाभान्वित हो सकती है।
[?] सामाजिक विकासः जेंडर न्याय जटिल रूप व्यापक सामाजिक विकास से से जुड़ा हुआ है। बाल विवाह, दहेज और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को संबोधित करने वाले कानूनी सुधार बेहतर सामाजिक कल्याण और सामुदायिक विकास में योगदान करते हैं।
[?] उन्नत कानूनी सुरक्षाः नारीवादी कानूनी सुधारों को लागू करने से महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा बढ़ाने का अवसर मिलता है। यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और भेदभाव से संबंधित कानूनों को मजबूत करने से महिलाओं के रहने और काम करने के लिए एक अधिक सुरक्षित वातावरण का निर्माण होता है। 7
[?] सांस्कृतिक बदलावः कानूनी सुधार सामाजिक मानदंडों को चुनौती देकर और उन्हें नया आकार देकर सांस्कृतिक बदलावों के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं। समय के साथ, ये बदलाव एक अधिक समावेशी और प्रगतिशील संस्कृति में योगदान दे सकते हैं जो जेंडर समानता को महत्व देती है।
[?] शिक्षा और जागरूकताः कानूनी सुधारों को लागू करने से जनता को शिक्षित करने और जेंडर मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर मिलता है। इससे एक अधिक सूचित और सहायक समाज का निर्माण हो सकता है जो जेंडर न्याय को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
[?] राजनीतिक प्रतिनिधित्वः कानूनी सुधार महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। स्थानीय शासन निकायों और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण जैसे उपाय अधिक संतुलित और प्रतिनिधि राजनीतिक परिदृश्य में योगदान दे सकते हैं। 8
[?] हिंसा की रोकथामः महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने और संबोधित करने पर केंद्रित कानूनी सुधार, जैसे यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा पर कड़े कानून, एक ऐसा समाज का निर्माण करने का अवसर प्रदान करते हैं जो जेंडर आधारित हिंसा के प्रति असहिष्णु हो।

[?] स्वास्थ्य और कल्याणः कानूनी सुधार प्रजनन अधिकार, मातृ स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच जैसे मुद्दों को संबोधित करके महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह महिलाओं और उनके परिवारों के समग्र कल्याण में योगदान देता है।
[?] वैश्विक मान्यता और सहयोगः नारीवादी कानूनी सुधारों को लागू करने से वैश्विक मंच पर जेंडर न्याय के चैंपियन के रूप में भारत की स्थिति में सुधार होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग के अवसर खोलता है तथा अन्य देशों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने की सुविधा

प्रदान करता है। 9

- नवाचार और उद्यमिताः एक अधिक जेंडर-समावेशी कानूनी व्यवस्था एक ऐसा माहौल बनाकर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दे सकती है जहाँ महिलाएँ पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में करियर बनाने और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित महसूस करती हैं।
- पारिवारिक गतिशीलताः कानूनी सुधार पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं को चुनौती देकर और परिवारों के भीतर साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देकर पारिवारिक गतिशीलता को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यह बदले में, सभी सदस्यों के लिए स्वस्थ पारिवारिक संबंधों और अधिक सहायक वातावरण में योगदान देता है। 10
- परस्पर सत्त विकास लक्ष्य (एसडीजी): नारीवादी कानूनी सुधारों को लागू करना इन परस्पर जुड़े सत्त विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के व्यापक प्रयासों के साथ पंक्तिबद्ध करता है।

कानूनी व्यवस्था

भारत में जेंडर न्याय और महिला अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कानूनी सुधारों की एक लंबी श्रृंखला देखी गई है। ये सुधार महिलाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित करते हैं तथा हिंसा, भेदभाव और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कानून और कानूनी सुधार शामिल हैंः

- भारत का संविधान, 1950: भारतीय संविधान समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) और लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करने (अनुच्छेद 15) सहित मौलिक अधिकारों की गारंटी देकर जेंडर न्याय के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। ये संवैधानिक प्रावधान बाद में हुए कानूनी सुधारों का आधार बनते हैं। 11

- दहेज निषेध अधिनियम (1961): दहेज की सामाजिक बुराई को संबोधित करने के लिए अधिनियमित, यह कानून दहेज देने या लेने पर रोक लगाता है। इसका उद्देश्य वैवाहिक संबंधों में महिलाओं के शोषण को रोकना और दहेज से संबंधित अपराधों में शामिल लोगों के लिए दंड का प्रावधान करता है।
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961: यह कानून सुनिश्चित करता है कि महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश और अन्य मातृत्व लाभों की हकदार हैं। इसका उद्देश्य प्रसव के दौरान और उसके बाद महिलाओं के रोजगार की रक्षा करना है, जिससे उनकी आर्थिक भलाई में योगदान होता है। 12
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971: यह कानून उन शर्तों के बारे में बताता है जिनके तहत गर्भापात कराया जा सकता है और इसका उद्देश्य महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा करना है। 2021 में संशोधनों ने कुछ परिस्थितियों में गर्भपात के लिए गर्भधारण की सीमा बढ़ा दी है। 13
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976: यह अधिनियम जेंडर के आधार पर वेतन में भेदभाव को रोकता है और समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। यह कार्यस्थल में जेंडर समानता को बढ़ावा देता है और जेंडर वेतन अंतर को संबोधित करता है। 14
- सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम, 1987: सती प्रथा (विधवा को जिंदा जलाना या दफनाना) को रोकने के लिए बनाया गया यह कानून सती प्रथा में किसी भी तरह की सहायता या सती प्रथा का महिमामंडन करने को अपराध मानता है। 15
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: यह व्यापक कानून शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण सहित घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों को संबोधित करता है। यह पीड़ितों के लिए सुरक्षा आदेश, निवास आदेश और आर्थिक राहत प्रदान करता है। 16
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013: यह कानून कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण को अनिवार्य बनाता है। यह नियोक्ताओं को आंतरिक शिकायत समितियों की स्थापना करने और पीड़ितों के लिए कानूनी उपाय प्रदान करने के दायित्व तय करता है। 17

[?] आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013: निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले की प्रतिक्रिया में अधिनियमित इस संशोधन में यौन अपराधों से संबंधित कानूनों को मजबूत किया है। इसने नए अपराध पेश किए, दंड बढ़ाये और बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाया है। 18

[?] बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006: यह कानून बाल विवाह को प्रतिबंधित और बाल विवाह को रद्द करने का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य अवयस्क लड़कियों और लड़कों के अधिकारों की रक्षा करना है, ताकि उन्हें कम उम्र तथा जबरन विवाह से बचाया जा सके। 19
[?] मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम (2019): ट्रिपल तलाक अधिनियम के रूप में मशहूर यह कानून मुस्लिम पुरुषों में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दा) की प्रथा को अपराध घोषित करता है और दंड का प्रावधान भी करता है। 20
[?] ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019: यह कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देता है और उनके विरुद्ध भेदभाव को रोकता है। यह स्व-अनुभूत जेंडर पहचान के अधिकार और ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने के अधिकार का प्रावधान करता है। 21

जेंडर न्याय हेतु नारीवादी कानूनी सुधार
जेंडर न्याय हेतु नारीवादी कानूनी सुधारों में व्यवस्थागत असमानताओं को संबोधित करने और सभी लिंगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई उपाय शामिल हैं। ये सुधार भेदभाव, हिंसा और सामाजिक अन्याय को बनाए रखने वाले कानूनी सरंचना को चुनौती देने और बदलने का प्रयास करते हैं।
[?] भेदभावपूर्ण कानूनों का उन्मूलनः ऐसे कानूनों की पहचान करने और उन्हें निरस्त करने की दिशा में काम करना जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से जेंडर के आधार पर भेदभाव करते हैं। इसमें व्यक्तिगत कानून, विरासत कानून और जेंडर-आधारित भेदभाव को कायम रखने वाले किसी भी अन्य क़ानूनी प्रावधान शामिल हैं।
[?] महिलाओं के विरुद्ध हिंसाः घरेलू हिंसा, यौन शोषण, उत्पीड़न और तस्करी सहित महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा को दूर करने के लिए कानूनों और प्रवर्तन तंत्रों को मज़बूत करना। इसमें रिपोर्टिंग तंत्र में सुधार, त्वरित न्याय सुनिश्चित करना और पीड़ितों को व्यापक सहायता प्रदान करना शामिल है।
[?] यौन और प्रजनन अधिकारः यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं को अपने शरीर और प्रजनन विकल्पों पर स्वायत्तता प्राप्त हो। 22
[?] समान वेतन और कार्यस्थल समानताः ऐसे कानून के लिए प्रयास करता है जो जेंडर वेतन अंतर को संबोधित करना और कार्यस्थल पर समानता को बढ़ावा देता हो। इसमें वेतन पारदर्शिता, भेदभाव विरोधी कानून और कार्य-जीवन संतुलन का समर्थन करने वाली नीतियों जैसे उपाय शामिल हैं।

[?] राजनीतिक प्रतिनिधित्वः इसमें चुनावी सुधारों, जेंडर कोटा और ऐसी नीतियों की वकालत करना शामिल है जो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित और समर्थन करती हों। 23 ऽ
[?] मातृत्व और पितृत्व अधिकारः कार्यस्थल पर गर्भवती महिलाओं और नई माताओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को मजबूत और विस्तारित करना। इसमें मातृत्व अवकाश, स्तनपान सहायता और पितृत्व अवकाश के माध्यम से साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना शामिल है।
[?] शिक्षा और जागरूकताः ऐसे कानूनी उपायों की वकालत करता है जेंडर-संवेदनशील शिक्षा को बढ़ावा दें और रूढ़ियों को चुनौती देने और समानता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाता है। इसमें स्कूली पाठ्यक्रम में जेंडर अध्ययन को शामिल करना शामिल है।
[?] डिजिटल अधिकार और साइबर उत्पीड़नः प्रौद्योगिकी से संबंधित उभरती चुनौतियों, जैसे ऑनलाइन साइबर धमकी और उत्पीड़न का समाधान करता है। ऐसे कानूनी उपायों की वकालत करता है, जो व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को हिंसा और उत्पीड़न के डिजिटल रूपों से बचाते हैं। 24

[?] पारिवारिक कानून और वैवाहिक अधिकारः उन भेदभावपूर्ण प्रथाओं और परंपराओं को चुनौती देता है जो पारिवारिक संरचनाओं के भीतर जेंडर असमानताओं को बनाए रखते हैं।
[?] नॉन-बाइनरी और ट्रांस अधिकारों की मान्यताः नॉन-बाइनरी और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कानूनी मान्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसमें पहचान दस्तावेजीकरण, भेदभाव विरोधी कानून और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार शामिल हैं।
[?] सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपायः सामाजिक सुरक्षा उपायों की वकालत करना जो महिलाओं खासकर हाशिए के समुदायों की महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों को संबोधित करते हैं, इसमें कल्याण नीतियों, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और आवास में सुधार शामिल हैं। 25

निष्कर्ष

भारत में जेंडर न्याय के लिए नारीवादी कानूनी सुधारों की खोज व्यवस्थागत असमानताओं को खत्म करने और एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण यात्रा को दर्शाती है सभी लिंगों के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से लेकर कार्यस्थल पर भेदभाव तक के मुद्दों को संबोधित करने वाले कानूनों के साथ कानूनी परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालाँकि, चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिससे कानूनी सुधारों के लिए एक निरंतर और सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत में कानूनी सुधारों का इतिहास सामाजिक परिवर्तनों, जमीनी स्तर के आंदोलनों और विधायी कार्यों के बीच एक गतिशील परस्पर

क्रिया को दर्शाता है। पितृसत्तात्मक मानदंडों द्वारा उत्पन्न प्रारंभिक चुनौतियों से लेकर समावेशी और अंतरसंबंधी सुधारों के लिए समकालीन प्रयास तक, कानूनी व्यवस्था विकसित हुआ है। उल्लेखनीय मील के पत्थर में घरेलू हिंसा, कार्यस्थल उत्पीड़न और प्रजनन अधिकारों पर कानून शामिल हैं, जिन्होंने एक अधिक न्यायसंगत समाज को आकार देने में योगदान दिया है। इन उपलब्धियों के बावजूद, जेंडर न्याय की ओर यात्रा लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। पितृसत्तात्मक मानसिकता, धीमी न्यायिक प्रक्रियाएँ और कानूनी ढांचे में फ़ासला अनवरत प्रयासों की माँग करते हैं। नारीवादी कानूनी सुधारों द्वारा प्रस्तुत अवसर विशाल और परिवर्तनकारी हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, सांस्कृतिक बदलावों को बढ़ावा देना और व्यापक सामाजिक विकास में योगदान देना कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे ये सुधार स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, इन अवसरों का लाभ उठाना और उभरते मुद्दों का समाधान करना अनिवार्य है। नॉन-बाइनरी और ट्रान्स के अधिकारों की मान्यता, डिजिटल अधिकारों में प्रगति और व्यापक यौनिक शिक्षा को बढ़ावा देना ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. Agarwal, Nisha (2012). Femino-Centric Approaches in Intellectual Property Laws. Intellectual Property Review, Volume: 9, Issue: 1.
2. Desai, Aisha (2012). Femino-Centrism: Rethinking Gender Perspectives in Indian Legal Frameworks. Gender and Law Review, Volume: 15, Issue: 2.
3. Deshmukh, Anjali (2019). Femino-Centric Legal Interpretations: A Case for Judicial Reforms. Judicial Studies Quarterly, Volume: 10, Issue: 1.
4. Gupta, Anjali (2018). Femino-Centric Legal Education: Addressing Gender Bias in Law Schools. Legal Education Review, Volume: 8, Issue: 4.
5. Iyer, Meera (2014). Femino-Centric Human Rights Advocacy: Challenges and Triumphs. Human Rights and Law Review, Volume: 14, Issue: 2.
6. Kapoor, Rashmi (2017). Femino-Centric Legal Activism: Shaping Equality Movements. Activist Law Review, Volume: 14, Issue: 4.
7. Kapoor, Sneha (2013), Femino-Centrism in Indian Family Laws: A Case Study Approach. Family Law Perspectives, Volume: 7, Issue: 2.
8. Mishra, Varsha (2014). Femino-Centric Approaches in Constitutional Law: A Comparative Study.
Constitutional Rights Quarterly, Volume: 9, Issue: 2.
9. Roy, Ananya (2018). Femino-Centric Jurisprudence: Unraveling Gender Bias in Indian Laws. Social Justice Law Quarterly, Volume: 12, Issue: 1.

10. Sharma, Kavita (2013). Femino-Centric Perspectives in Criminal Law: A Critical Analysis. Criminal Justice Insights, Volume: 17, Issue: 3.
11. Sharma, Sneha (2020). Femino-Centric Jurisprudence: Rethinking Legal Frameworks for Women's Empowerment. Gender and Law Review, Volume: 8, Issue: 2.
12. Sinha, Maya (2016). Femino-Centric Approaches to Workplace Equality: Legal Implications. Employment Law Perspectives, Volume: 13, Issue: 2.

13. The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987
14. The Constitution of India, 1950.
15. The Criminal Law (Amendment) Act, 2013
16. The Equal Remuneration Act, 1976
17. The Maternity Benefit Act, 1961.
18. The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971.
19. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act (2019).
20. The Prohibition of Child Marriage Act, 2006
21. The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
22. The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013.
23. The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019.
24. Verma, Nandita (2016). Challenges and Opportunities: Implementing Femino-Centric Legal Reforms. Women’s Rights and Legal Issues, Volume: 5, Issue: 3.
25. Verma, Rajat (2018). Reconceptualizing Equality: A Femino-Centric Analysis of Constitutional Provisions. Constitutional Perspectives, Volume: 15, Issue: 1.